रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277423
CG-DL-E-26102026-277423

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948
No. 840] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 911(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1989 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.313 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 27 अप्रैल, 2026 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 में-

(1) उपनियम (18) के खंड (i) में,

(i) सारणी 2 में,-

(क) शीर्षक में, "से अनधिक सकल भार" शब्दों से पहले, '3000कि.ग्रा.' अंकों और शब्दों के स्थान पर, '3500कि.ग्रा.' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ (7) के अधीन, स्तंभ शीर्षक में, 'एचसीएनजी' के पश्चात् '(हाइड्रोजन+सीएन)' कोष्ठकों, अंक, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर '(हाइड्रोजन+सीएनजी)' कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) स्तंभ (8) के अधीन, स्तंभ शीर्षक में, 'गैसोलीन' शब्द के पश्चात् '[(ई10)/ई] ' कोष्ठकों, अंकों, शब्दों और अक्षरों के स्थान पर '[(ई10)/(ई20)]' कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) स्तंभ (11) के अधीन, पंक्ति 5 में, '(ई85) ' कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर '(ई85) या (ई100)' कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) स्तंभ (15) के अधीन, पंक्ति 5 में, '(बी10)' कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर '(बी100)' कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) सारणी 2 के अधीन टिप्पण में,-

(क) पैरा 4 के, उपपैरा (घ) में, 'गैसोलीन ईंधन ई10' शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर '(विनिर्माता द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)' शब्द और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) पैरा 17 के उपपैरा (i) में 'का वर्गीकरण यह संकेत देता है' शब्दों के स्थान पर 'की तुलना यह संकेत देती है' शब्द रखे जाएंगे।

(2) उपनियम (18) के खंड (ii) में,-

(i) सारणी 2 में, स्तंभ (8) के अधीन, पंक्ति 5 में '(ई85)' कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर '(ई85) या (ई100)' कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण में, सारणी 2 के अधीन, पैरा 11 के उपपैरा (i) की सारणी में,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक में, 'एनएचएमसी1' अक्षरों और ऊपर अंकित के स्थान पर 'एनएचएमसी2' अक्षर और ऊपर अंकित रखा जाएगा ;

(ख) स्तंभ (5) में, स्तंभ शीर्षक में, 'सीएच41', अक्षरों, नीचे अंकित और ऊपर अंकित के स्थान पर 'सीएच42', अक्षर, नीचे अंकित और ऊपर अंकित रखा जाएगा ;

(iii) टिप्पण में, सारणी 2 के अधीन, पैरा 13 की सारणी में,-

(क) पंक्ति 1 में, स्तंभ (2), स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों में 'एमजी/केडब्ल्यूएच' अक्षरों के स्थान पर 'मि.ग्रा./केडब्ल्यूएच' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पंक्ति 2 में, स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टि में, '60' अंकों के स्थान पर '600' अंक रखे जाएंगे ;

(3) उपनियम 19 के खंड (i) में

(i) सारणी 2 में, स्तंभ 11 के अधीन पंक्ति 5 में '(ई85)', कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर '(ई85) या (ई100)' कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) सारणी 2 के बाद, 'स्पष्टीकरण नोट: (1) ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के तौर पर डिज़ाइन किए गए वाहनों में ई85 या ई100 का इस्तेमाल किया जाएगा।' शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जाएँगे;

(4) उपनियम (20) की सारणी 2 में, स्तंभ (11) के अधीन पंक्ति 5 में '(ई85)', कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर '(ई85) या (ई100)' कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(5) उपनियम (22) की सारणी 2 में, स्तंभ (11) के अधीन पंक्ति 5 में '(ई85)', कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर '(ई85) या (ई100)' कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(6) नियम 115ङ के उपनियम (4) के टिप्पण में खंड (xii) में 'ई 100 यानों के लिए उपाबंध-द', अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, 'ई 100 यानों के लिए उपाबंध-दक' अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आर.टी-11028/06/2025-एमबीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.....(अ) तारीख.....द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

G.S.R. 911(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 313(E), dated the 27th April 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 27th April, 2026;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115,—

(1) in sub-rule (18), in clause (i),—

(i) in TABLE 2, —

(a) in the heading, after the words "gross weight not exceeding", for the figure and words '3000 kg', the figure and words '3500 kg' shall be substituted;

(b) under column (7), in the column heading, after the letters 'HCNG', for the bracket, figure, words and letters '(Hydrogen+CN)', the bracket, figure, words and letters '(Hydrogen+CNG)' shall be substituted;

(c) under column (8), in the column heading, after the word 'Gasoline', for the brackets, figures and letters '[(E10)/(E)]', the brackets, figures and letters '[(E10)/(E20)]' shall be substituted;

(d) under column (11), in row 5, for the bracket, figure and letter '(E85)', the brackets, figures, word and letters '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(e) under column (15), in row 5, for the bracket, figures and letter '(B10)', the bracket, figures and letter '(B100)' shall be substituted;

(ii) in the Notes under TABLE 2,—

(a) in paragraph 4, in sub-paragraph (d), after the words, letter and figures 'Gasoline fuels E10', the bracket and words '(as specified by the manufacturer)', shall be omitted;

(b) in paragraph 17, in sub-paragraph (i), for the word 'Compression', the word 'Comparison' shall be substituted.

(2) in sub-rule (18), in clause (ii),—

(i) in TABLE 2, under column (8), in row 5, for the bracket, figure and letter '(E85)', the brackets, figures, word and letters '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(ii) in the Notes, under TABLE 2, in paragraph 11, in sub-paragraph (i), in Table 1,—

(a) in column (4), in the column heading, for the letters and superscript 'NMHC1', the letters and superscript 'NMHC2' shall be substituted;

(b) in column (5), in the column heading, for the letters, subscript and superscript 'CH41', the letters, subscript and superscript 'CH42' shall be substituted;

(iii) in the Notes, under Table 2, in paragraph 13, in the table,—

(a) in row 1, in the entries under columns (2), (3), (4) and (5), for the letters 'Mg/kWh', the letters 'mg/kWh' shall be substituted;

(b) in row 2, in the entry under column (4), for the figures '60', the figures '600' shall be substituted;

(3) in sub-rule (19), in clause (i), -

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

(i) in the TABLE 2, under column (11), in row 5, for the bracket, figures and letter '(E85)', the brackets, figures, word and letters '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(ii) after TABLE 2, the words, figures and letters, 'Explanatory Notes: (1) E85 or E100 shall be used in the vehicles designed by the original equipment manufacturers as Flex-fuel vehicles.' shall be inserted;

(4) in sub-rule (20), in TABLE 2, under column (10), in the column heading, for the bracket, figure and word '(E85)', the bracket, figure and word '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(5) in sub-rule (22), in TABLE 2, under column (11), in row 5, for the bracket, figures and letter '(E85)', the brackets, figures, word and letters '(E85) or (E100)' shall be substituted;

(6) in rule 115E, in sub-rule (4), in Notes, in clause (xii), for the figures, letters and words 'Annexure S for E100 vehicles', the figures, letters and words 'Annexure SA for E100 vehicles' shall be substituted.SA for E100 vehicles shall be substituted.

[F. No. RT-11028/06/2025-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. …..(E) dated the

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.10.26 11:50:58 +05'30'